न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण सं. 371/2023/251 (ए) आरटीए</u>

01. कमला. देवी पत्नी गणेशराम उम्र 56 वर्ष
02. बनारसी देवी पत्नी ओमप्रकाश उम्र 60 वर्ष
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम माण्डोता तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— आवेदकगण/प्रार्थीगण

बनाम

01. जगदीश प्रसाद पुत्र नाराना जाति जाट
02. भगवाना पुत्र नाराना जाति जाट
03. नवरतन पुत्र रूघनाथ जाति जाट
04. मोहरी देवी पत्नी रूघनाथ जाति जाट
05. देवा पुत्र जीवण जाति बलाई
06. सुप्यार देवी पत्नी पेमाराम जाति बलाई
07. सांवरमल पुत्र पेमाराम जाति बलाई
    समस्त निवासीगण ग्राम बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
08. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— अनावेदकगण/अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति—

01. श्री ताराचंद यादव, एड. वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री भागीरथमल जाखड़, एड. वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 6 व 7 की ओर से
03. श्री विजय कुमार शर्मा, एड. वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 05 .08.2025

वकील आवेदकगण/प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अर्न्तगत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा सं. 455 रकबा 2.5800 हेक्टेयर वाके ग्राम बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित हैं। इसी प्रकार उक्त भूमियों के सींवा—जोड़ अनावेदकगण सं. 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा सं. 460 रकबा 1.4300 हेक्टेयर एवं अनावेदकगण सं. 5 ता 7 की कृषि भूमि खसरा सं. 459 रकबा 2.7200 हेक्टेयर, अनावेदक सं. 3 व 4 की कृषि भूमियां खसरा सं. 457 रकबा 3.4900 हेक्टेयर वाके ग्राम बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित है। प्रार्थीगण/आवेदकगण व अनावेदकगण सं. 1 ता 7 की भूमियां एक दुसरे से सटी हुई है। प्रार्थीगण/आवेदकगण की कृषि भूमियों में आवागमन हेतु मौके पर कोई कटानशुदा रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण/आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा सं. 455 में आवागमन हेतु मौके पर कोई कटानशुदा रास्ता नहीं है। उक्त कटानशुदा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण/आवेदकगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा अप्रार्थीगण/अनावेदकगण सं. 1 ता 7 जब चाहे तब प्रार्थीगण/आवेदकगण को आने जाने में बाधा उत्पन्न करते रहते है। इस कारण प्रार्थीगण/आवेदकगण को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण/आवेदकगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अपनी कृषि भूमि के रास्ते हेतु मौके पर लघुत्तम एवं कम दूरी का रास्ता भूमि खसरा सं. 457 रकबा 3.4900 हेक्टेयर की पश्चिमी सीमा के उत्तरी तरफ के कोने से शुरू होकर उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे से खसरा सं. 459 व खसरा सं. 460 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे से खसरा सं. 466 कटानशुदा रास्ते की भूमि तक कटानशुदा रास्ता उपलब्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण/आवेदकगण की भूमि के न तो कोई वैकल्पिक रास्ता है तथा न ही कोई लघुत्तम दूरी का अन्य कोई रास्ता इसके अतिरिक्त उपलब्ध हो सकता है तथा न ही मौके पर कोई कटानशुदा रास्ता वर्तमान में मौजूद है तथा उक्त रास्ते की प्रार्थीगण/आवेदकगण द्वारा मांग करने पर अभी हाल ही में अनावेदकगण सं. 1 ता 7 ने आवेदकगण से विवाद करना शुरू कर दिया है। प्रार्थीगण/आवेदकगण को उक्त रास्ते अत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण/आवेदकगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अपनी भूमियों में काश्त करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। मद सं. 2 में वर्णित आवागमन के रास्ते के बाबत प्रार्थीगण/आवेदकगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 से पहले भी उक्त रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते में परिवर्तन करने तथा उसकी चौड़ाई 28 फुट करने के लिये बातचीत की थी, उस समय तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 सहमत थे, लेकिन धीरे–धीरे उनके मन में बेईमानी आ गई तथा उक्त रास्ता प्रार्थीगण/आवेदकगण के चाहने पर तथा उसके बदले नियमानुसार प्रतिकर राशि अथवा भूमि दिये जाने का प्रस्ताव दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण/अनोवदकगण प्रार्थीगण को रास्ता देने को तैयार नहीं है। इस कारण उक्त आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 शंकालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो आये दिन उक्त रास्ते को लेकर विवाद करने पर आमादा रहते है तथा प्रार्थीगण/आवेदकगण की कृषि भूमियों की जुताई व अन्य कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की गर्ज से आये दिन उन्हें हैरान व परेशान करते रहते है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 ने दिनांक 13.04.2023 को प्रार्थीगण/आवेदकगण की कृषि भूमियों में जुताई हेतु जाने का प्रयास करने पर अनावेदकगण सं. 1 ता 7 ने उक्त रास्ते में खड़े होकर प्रार्थीगण/आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि में जाने से स्पष्ट मना कर दिया। इसलिएं यह आवेदन प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। उक्त वर्णित रास्ते बाबत प्रार्थीगण/आवेदकगण अनावेदकगण सं. 1 ता 7 को नियमानुसार रास्ते के बदले भूमि व बाजार में प्रचलित मूल्य का दो गुणा देने के लिये सिद्ध एवं तत्पर है। अप्रार्थी सं. 8 भूमिधारक है, जिसे भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत आवेदन श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने के कारण श्रीमानजी के समक्ष उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को भूमि खसरा सं. 466 कटानशुदा रास्ता की भूमि में से खसरा सं. 459, 460 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ खसरा सं. 457 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे से खसरा सं. 455 की तरफ दक्षिण तरफ चलकर उक्त रास्ता खसरा सं. 455 में प्रवेश करने तक का 2 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावें तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी सं. 8 को प्रकरण में मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 5 पर विधिवत तामील पूर्ण होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 6 व 7 की ओर से श्री [illegible] खड़, एड. ने वकालतनामा पेश कर मदवार जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखि[illegible] किया गया कि ''मद सं. 1 में विवादग्रस्त कृषि भूमियां ग्राम बिडोली तहसील सीकर [illegible] जिला [illegible] होना स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। मद सं. 2 में अंकित कथन [illegible]लत व मनगंढत आधारों पर होने से अस्वीकार है। मद में काफी बढाचढाकर कथन अंकित किया गया है। आवेदिका ने अनावेदकगण से जिस रास्ते की मांग की है तथा जिस तरफ से की है। वह रास्ता [illegible]दिका के खेत से करीब 320 मीटर दूरी पर है तथा उक्त मांग की गई भूमि पर काश्त कर रहे काश्तकारों के कच्चे पक्के आवासीय मकानात बने हुए है, अगर उनको तोडकर रास्ता दिया जाता हैं तो अनावेदकगण को भारी क्षति होगी। मद सं. 3 में अंकित कथन गलत व मनगंढत आधारों पर होने से अस्वीकार है। चूंकि आवेदिका की कृषि भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 15:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला-सीकर

सबसे नजदीकी रास्ता ग्राम अर्जुनपुरा की कृषि भूमि खसरा सं. 144 जो कि आवेदिका के सींवा–जोड़ खेत है तथा कृषि भूमि खसरा सं. 144 के पश्चिम में खसरा सं. 145 व 146 की पश्चिमी सींव पर कटानशुदा रास्ता है, जो कि आवेदिका के सबसे नजदीक व सुगम रास्ता है जो कि लगभग 180 मीटर ही आवेदिका के खेत से दूर है। आवेदिका ने गलत कृषि भूमि से रास्ते की मांग की है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। मद सं. 4 में अंकित कथन गलत व मनगंढत आधारों पर होने से अस्वीकार है। अनावेदकगण सं. 1 ता 7 गांव में मौजिज व्यक्ति है, वे किसी भी प्रकार से आज तक आवेदकगण को हैरान व परेशान नहीं किया है। मद में वर्णित अन्य कथन गलत व मिथ्या आधारों पर अंकित किया गया है, जो गलत होने से अस्वीकार है। मद सं. 5 में अंकित कथन गलत व मनगंढत आधारों पर होने से अस्वीकार है। जिन कृषि भूमियों से अनावेदकगण से रास्ते की मांग की गई है। वह सिंचित कृषि भूमियां है तथा उनका बाजार भाव सरकारी दर से लगभग 15 गुणा ज्यादा है तथा उनमें काफी कृषि कार्य हो रहा है। जिससे राजस्व में वृद्धि में उनका योगदान है। अगर आवेदकगण को उक्त कृषि भूमियों से रास्ते की भूमि दी जाती है, तो राजस्व का काफी नुकसान होगा। मद सं. 5 ता 7 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब निवेदन है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज फरमाया जावें।'' अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा, एड. ने वकालतनामा पेश कर मदवार जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि ''मद सं. 1 आंशिक स्वीकार है। शेष इबारत जिस तरह से तहरीर की गयी है, अस्वीकार है। मद सं. 2 अस्वीकार है। चूंकि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि खसरा सं. 455 में आवागमन हेतु कोई रास्ता न बताकर झूठ व मनगढन्त तथ्य दर्शाया है। जो कतई स्वीकार नहीं है। बल्कि सच्चाई यह है कि भूमि में वर्णित खसरा सं. 455 में सटकर रास्ता लगता है, जो खसरा सं. 494/1545 है, जो जमाबंदी में 0.2300 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्शाया गया है, जो प्रार्थीगण की भूमि से एकदम नजदीक है, आवेदन–पत्र में न दिखाकर आवेदन पेश किया है, जो गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो आवेदन खारिज किये जाने योग्य हैं। मद सं. 3 पूरी तरह से मनगढन्त व गलत तथ्यों से अंकित की गयी है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार है। मद सं. 4 जो जवाबदाता की प्रवृति तहरीर की गई है, उसका आवेदन से कोई लेन देन न होने से अस्वीकार है। दिनांक 13.04.2023 को कोई भी व्यक्ति जवाबदाता के पास नहीं आया और न ही उक्त वर्णित रास्ते की बात की। अतः पूर्णतः अस्वीकार है। मद सं. 5 ता 8 कानूनी होने से जवाब मोहताज नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावें।'' अप्रार्थी सं. 8 तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./24/1727 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई, जिसमें प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते को प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ता बाबत उक्त रिपोर्ट के अवलोकन के बाद वकील अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से उक्त रिपोर्ट के संबंध में विधिक आपत्ति पेश होने पर तथा उक्त का जवाब वकील प्रार्थीगण की ओर से पेश होने पर उक्त आपत्ति आवेदन व प्रार्थीगण के जवाब आवेदन तथा अनुतोष के संबंध में प्रार्थी के आवागमन हेतु रास्ता आर.टी.एक्ट, 1955 की धारा 251(ए) में विहित बिंदुओं/प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर तहसीलदार को पुनः रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा गया। ताकि प्रकरण के निस्तारण में सुगमता हो। उक्त की पालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/113 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई, जिसमें प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते के अनुसार पूर्व रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांकित 12.06.2024 के अनुसार ही रास्ता प्रस्तावित किया जाकर उक्त रिपोर्ट पेश की है। उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर वकील अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति आवेदन पेश किया गया, जिसका जवाब पेश करने पर उभयपक्ष को सुना जाकर उक्त आपत्ति आवेदन को खारिज किया गया।

बहस उभयपक्ष से अभिभाषकगणों से सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने हस्तगत आवेदन अ.धा. 251(ए) आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी के खेत खसरा सं. 455 वाके ग्राम बिडोली में आवागमन हेतु खसरा सं. 460, 459 व 457 वाके ग्राम बिडोली में से रास्ता चाहा गया है। जिसके संबंध में तहसीलदार की प्रथम रिपोर्ट दिनांकित 12.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सीकर जिला-सीकर

2024 के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार उसका आवेदन स्वीकार किया जावें। क्योंकि उक्त रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को ही दिया प्रार्थीगण द्वारा मांग किये गये रास्ते को सबसे निकटतम रास्ता मानते हुये उक्त रास्ते का प्रस्ताव ही दर्शाया गया है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) में विहित प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः तहसीलदार की अन्य रिपोर्ट दिनांकित 10.01.2025 में भी पूर्व में प्रस्तावित रास्ते को प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुरूप होने बाबत पुष्ठि की है। उसी अनुरूप प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जावें। प्रत्युत्तर में बहस के दौरान उपस्थित वकील अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट, जो तैयार करवाई गई है वह तहसीलदार के द्वारा तैयार नहीं करवाई जाकर केवल पटवारी व भू.अ.नि. के द्वारा तैयार करवाई गई है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा समग्र पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना–पत्र, जवाब आवेदन व तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स के संदर्भ में यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीगण ने ग्राम बिडोली में अवस्थित आराजी खसरा सं. 455 में आवागमन हेतु ग्राम बिडोली के खसरा सं. 457, 459, 460 में से रास्ते की मांग की है। जिसके संबंध में तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत प्रथम रिपोर्ट दिनांकित 12.06.2024 में उक्त रास्ते को प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 6 व 7 (जो कि खसरा सं. 460 व 459 वाके ग्राम बिडोली के अलग–अलग खातेदारान है) के द्वारा प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 455 में आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की आराजियात में से जो, मांग की है। उसको निराधार बताकर प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया है। साथ ही तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट्स स्वयं तहसीलदार के द्वारा तैयार नहीं की जाकर केवल पटवारी व भू.अ.नि. के द्वारा तैयार करवाये जाने संबंधी आक्षेप लगा कर प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन को खारिज करने बाबत मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) में विहित प्रावधानों के आलोक में समग्र पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त दोनों रिपोर्ट्स का गहनता से अवलोकन किया गया। उक्त दोनों रिपोर्ट्स के संबंध में निम्नानुसार विवेचन किया जा रहा है–

उक्त रिपोर्ट्स में सारतः तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण के आराजी खसरा सं. 455 में आवागमन हेतु खसरा सं. 457, 459, 460 में से रास्ते की मांग के अनुरूप ही रास्ता प्रस्तावित किया है। वर्तमान में प्रार्थी के खेत में आने–जाने का कोई स्थाई रास्ता नहीं है। खसरा सं. 460 वाके ग्राम बिडोली से माण्डोता पक्की सड़क से लगा हुआ है तथा खसरा सं. 459 नजरी नक्शा के अनुसार खसरा सं. 460 के दक्षिण में है तथा मौके पर खातेदारान की आपसी सहमति से खेतों व आवासीय मकानात तक आवागमन के लिए करीब 8–10 फीट चौड़ा रास्ता खुला होकर चालू है, जो आगे किसी अन्य के काम आना नहीं बताया गया है। प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु उपयुक्त है। वर्तमान में प्रार्थीगण के खेत तक कोई वैकल्पिक रास्ता मौके व रिकॉर्ड में नहीं है। उक्त रास्ता प्रस्ताव में एक अन्य लघुत्तम रास्ता भी प्रार्थीगण के आराजी खसरा सं. 455 में आवागमन हेतु खसरा सं. 457 व 458 में से एक रास्ते का उल्लेख (रिपोर्ट के साथ संलग्न रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 4 [illegible] में दर्शित) किया है, लेकिन उक्त खसरा सं. 457 व 459 के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं है तथा साथ ही प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की मांग नहीं की है। प्रकरण में अप्रार्थीगण [illegible] आपत्तियों व उनके कथनों के समर्थन में उनका बार–बार यही आक्षेप है कि प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार के द्वारा नहीं बनाई गई है जबकि नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत दायर प्रकरण की जांच नियमानुसार कम से कम भू–अभिलेख निरीक्षक के स्तर से किये जाने का प्रावधान है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./24/1727 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रिपोर्ट, जो कि संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर से तैयार की गई है, जो उक्त वर्णित प्रावधान के अनुसार ही है। साथ ही तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested

नवीनतम रिपोर्ट दिनांकित 10.01.2025 के द्वारा उल्लेखित तथ्यों के अनुसार पूर्व रिपोर्ट दिनांकित 12.06.2024 की ताईद होती है। अर्थात् नवीनतम रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता को ही उचित बताया जाकर रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार से दोनों रिपोर्ट्स आपस में प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता के संबंध में नियमानुसार ही है। आपत्तियों व अपने कथनों के समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा आक्षेपित उक्त बिंदुओं का निस्तारण न्यायालय आदेश 27.03.2025 के द्वारा किया जा चुका है। प्रकरण के निस्तारण की इस स्टेज पर वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अपने कथनों/तथ्यों के समर्थन में पूर्व में प्रस्तुत वर्णित न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होने बाबत उल्लेख भी पूर्व में किया जा चुका है। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य लघुत्तम रास्ते वाली भूमि भोगौलिक दृष्टि से काफी ऊंची–नीची होकर टीलेनुमा होने से रास्ते हेतु उपयुक्त नहीं होना तथा खसरा सं. 457 व 458 की दक्षिण सींव, जिस पर रास्ता लघुत्तम दूरी का बनता है, जो कि शेष खसरे से 5.7 फीट ऊंचा बनता है, जो की अधिक वर्षा होने पर पानी से बहाव/कटान बनने की पूर्ण संभावना बनने बाबत नवीनतम रिपोर्ट पेश की है। इस प्रकार से पूर्व रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांकित 12.06.2024 में प्रस्तावित रास्ते (जिसकी मांग प्रार्थीगण ने की है) उसी को पुष्ठ किये जाने बाबत नवीनतम रिपोर्ट पेश की है। वकील अप्रार्थीगण के उक्त बहाव क्षेत्र में से दिये जाने वाले रास्ते को उपयुक्त बताया है, परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण सं. 1536/2003 उनवान अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदि के निर्णय दिनांक 02.08.2004 के आलोक में जल बहाव क्षेत्र, जल एकत्रित होने वाली प्राकृतिक संरचनाओं आदि को बाधित/दिशा परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। साथ ही उक्त की ओर से कोई ठोस सबूत/साक्ष्य/दस्तावेजात पेश नहीं किया है, जिससे उनके कथनों/तथ्यों का पक्ष सबल हो। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग वर्ष 2023 से की जा रही है, जिसके आवेदन का निस्तारण अब किया जाना उचित है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रिपोर्ट दिनांकित 12.06.2024 के द्वारा प्रस्तावित रास्ता मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र टिनेंसी एक्ट की धारा 251(ए) के प्रावधानों एवं शर्तो की पूर्ति करता है तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट दिनांकित 12.06.2024 उपयुक्त है, जिसकी पुष्ठि तहसीलदार की नवीनतम रिपोर्ट दिनांकित 10.01.2025 के द्वारा होती है। क्योंकि नवीनतम रिपोर्ट अप्रार्थीगणों के आपत्ति के पेश होने पर ही न्यायालय के सामने सही और विधिसम्मत तथ्य उजागर होने के बाबत ही उक्त रिपोर्ट पुनः तलब की गई थी। अतः उक्त सभी स्पष्ट तथ्यों के आलोक में प्रार्थी के हस्तगत आवेदन अ. धारा 251(क) आरटीए, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./24/1727 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा प्राप्त विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि–

(अ) तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट दिनांकित 12.06.2024 के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट (पृष्ठ सं. 01) में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में प्रार्थी के खेत खसरा सं. 455 में आवागमन के लिए ग्राम बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा सं. 457 रकबा 3.4900 हेक्टेयर में से रकबा 0.0740 हेक्टेयर, खसरा सं. 459 रकबा 2.7200 हेक्टेयर में से रकबा 0.1290 हेक्टेयर, खसरा सं. 460 रकबा 1.4300 हेक्टेयर में से रकबा 0.0940 हेक्टेयर लाल रंग से बिंदु **A-B-C-D** तक प्रस्तावित रास्ता अंकित है, रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश [illegible] है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जावें।

(ब) ग्राम बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा सं. 457, 459, 460 में से उक्तानुसार रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सीकर जिला सीकर

(स) ग्राम बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा सं. 457, 459, 460 में से उक्त प्रस्तावित रास्ते के बदले प्रार्थी से डी.एल.सी. दर से संबंधित खातेदारान (उक्त खसरानों की मुताबिक जमाबंदियों के अनुसार अप्रार्थीगणों) को भुगतान करने हेतु निम्न प्रकार राशि का डीडी प्राप्त किया जाकर खातेदारान को विधिवत भुगतान किया जाये–

खसरा सं.	रास्ते मे प्रयुक्त भूमि	डीएलसी दर	वसूल योग्य राशि	खातेदारान का विवरण
457, 459, 460	नजरी नक्शा में नजरी नक्शा में लाल रंग से बिंदु **A-B-C-D** तक प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 2970 वर्गमीटर	नियमानुसार	डीएलसी दर की दोगुनी	मुताबिक जमाबंदी के हिस्से अनुसार

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./24/1727 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा प्राप्त विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत कराने बाबत तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
सीकर जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 15:13:00 IST
Reason: SelfAttested